न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 217 / 2020
3. उनवान : सरकार जरिये राम स्वरुप जाट, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. मालिक वाहन संख्या आरजे–18–जीए–3433 पिकअप (नामालूम)
2. श्री महेन्द्र सैनी पुत्र श्री फूलचन्द सैनी निवासी गोपालजी मैया के मन्दिर के पीछे, पावटा, कोटपूतली वाहन चालक, वाहन संख्या आरजे–18–जीए–3433 पिकअप।
3. श्री शिवकुमार उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत पावटा, कोटपूतली जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 22.02.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री तेजपाल सिंह अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, कोटपूतली, जयपुर श्री रामस्वरुप जाट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 01.03.2015 को थानाधिकारी प्रागपुरा की सूचना पर मय जांच दल के प्रागपुरा थाने पंहुचे। पुलिस तहरीर के अनुसार श्री रामवतार टेपन की सूचना जिसमें कहा गया कि वाहन नं. आरजे–18–जीए–3433 जिसमें गेहूं के 44–46 कट्टे लदे हुये थे जिनको चालक जनाना अस्पताल पावटा के सामने से ले जा रहा था और वाहन चालक महेन्द्र सैनी से लोगों ने पिकअप को रुकवाकर लदे हुये गेहूं बाबत पूछताछ करने पर चालक घबरा गया और उसने यह गेहूं पावटा निवासी डीलर शिवकुमार महाजन की दुकान से लाना बताया और इन कट्टों को हनुमान यादव निवासी वार्ड नं. 4 के मकान के सामने रास्ते में ही जमीन पर डालकर चला गया। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त गेहूं को थाने में सुरक्षार्थ रखवाया गया। प्रार्थी द्वारा मय जांच दल के थाने पहुंचकर उपस्थित मौतबिरान से पूछताछ की। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं का कालाबाजारी करना प्रतीत होने से 45 कट्टे गेहूं कुल 22.50 क्विं. को जब्त किया गया। प्रार्थी द्वारा फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। प्रार्थना पत्र के अनुसार अवैध परिवहन हेतु काम में लिये जा रहे वाहन संख्या आरजे–18–जीए–3433 को पी.एस. प्रागपुरा द्वारा बाद में दिनांक 16.10.2015 को जब्त किया गया था। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से दिनांक 19.07.2016 को अधिवक्ता श्री तेजपाल सिंह ने उपस्थिति दी। दिनांक 28.10.2015 को अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 3,50,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 29.10.2015 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। दिनांक 14.09.2016 को अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से पेश जवाब में अंकित किया कि उक्त जब्ती स्थल पर अप्रार्थी मौजूद नहीं था ना ही अप्रार्थी की उक्त जब्ती स्थल के आस–पास दुकान है। अप्रार्थी का उक्त जब्त सामान से कोई सरोकार नहीं है। शेष अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए फर्द जब्ती के अनुसार जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 22.02.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 01.03.2015 को श्री रामवतार टेपन की सूचना जिसमें कहा गया कि वाहन नं. आरजे–18–जीए–3433 जिसमें गेहूं के 44–46 कट्टे लदे हुये थे जिनको चालक जनाना अस्पताल पावटा के सामने से ले जा रहा था और वाहन चालक महेन्द्र सैनी से लोगों ने पिकअप को रुकवाकर लदे हुये गेहूं बाबत पूछताछ करने पर चालक घबरा गया और उसने यह गेहूं पावटा निवासी डीलर शिवकुमार महाजन की दुकान से लाना बताया और इन कट्टों को हनुमान यादव निवासी वार्ड नं. 4 के मकान के सामने रास्ते में ही जमीन पर डालकर चला गया। थाने में मौके पर उपस्थित मौतबिरान श्री रामवतार टेपन, श्री राजू राठी, श्री बाबूलाल यादव, श्री गिरिराज बोहरा ने भी पूछताछ में यही बात बताई। वाहन चालक गेहूं को सडक पर छोड कर चला गया और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी आज तक वाहन के अलावा अन्य जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर और आदिनांक तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी आदिनांक तक नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण की संलिप्तता वाले अवैध कारोबार हेतु परिवहन किये जा रहे गेहूं जिसके 38 कट्टों पर हरियाणा सरकार, 3 पर HAFED अंकित था एवं 4 कट्टों पर कोई मार्का नहीं पाया गया। इससे पुष्ट होता है कि गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का था एवं अप्रार्थीगण द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं का दुरुपयोग कर अवैध क्रय–विक्रय हेतु परिवहन किया जाना प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण का ऐसा कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त 45 कट्टे कुल 22.50 क्विं गेहूं एवं वाहन नं. आरजे–18–जीए–3433 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेशानुसार जब्त सामग्री को राजसात कर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।